उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–7
संख्या–१८५/xxvii(7)/2012
देहरादूनः दिनांकः १० दिसम्बर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्याः–102/xxvii(7)/2011 दिनांकः 06 जुलाई, 2011 द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त विभागों में ई–प्रोक्योरमेंन्ट सिस्टम लागू किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्टेंडर्ड बिड कस्टमाईजेशन के लिये सलाहकार, वित्त उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में पी0डब्लू0डी0, सिंचाई, चिकित्सा, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, जल विद्युत निगम/यूपीसीएल तथा वित्त विभाग के अधिकारियों की एक उप समिति का गठन निम्नवत् किया जाता हैः–

1. नोडल अधिकारी, ई–प्रोक्योरमेंट, लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड।
2. नोडल अधिकारी, ई–प्रोक्योरमेंट, सिंचाई विभाग,उत्तराखण्ड।
3. नोडल अधिकारी, ई–प्रोक्योरमेंट, चिकित्सा विभाग,उत्तराखण्ड।
4. नोडल अधिकारी, ई–प्रोक्योरमेंट, पशुपालन विभाग,उत्त राखण्ड।
5. नोडल अधिकारी, ई–प्रोक्योरमेंट, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,उत्तराखण्ड।
6. नोडल अधिकारी, ई–प्रोक्योरमेंट, यू0पी0सी0एल0,उत्तराखण्ड।
7. नोडल अधिकारी, ई–प्रोक्योरमेंट, जल विद्युत निगम,उत्तराखण्ड।
8. नियोजन विभाग में कार्यरत तकनीकी सलाहकार।
9. राज्य नोडल अधिकारी/संयोजक, ई–प्रक्योरमेंट,उत्तराखण्ड।

उप समिति 1 माह में स्टेंडर्ड बिड प्रपत्र तैयार करके इसे शासन स्तर पर गठित कोर ग्रुप को उपलब्ध करायेगी। यह उप समिति ई–टेडरिंग की प्रकिया को व्यापक रूप से अपनाये जाने के लिये निविदाकर्ताओं को वर्तमान नियमों के प्राविधानों के अनुपालन में कठिनाई होने अथवा अव्यवहारिक होने आदि की समस्या को दूर करने हेतु सुझाव तथा नियमों/मैनुअलों में कहॉ–कहॉ संशोधन किया जाना आवश्यक होगें, से भी अवगत करायेगी तथा आवश्यक टर्नओवर निर्धारित करने हेतु सुझाव देगी।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पत्र संख्याः–१८५/xxvii(7)/2012 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधिकारीगण।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।